



**भारत सरकार**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ**  
**Ministry of Environment, Forest & Climate Change**  
**Integrated Regional Office, Lucknow**



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
 Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024. Telefax-2326696  
 Email: roc.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/68/2022/एफ.सी./146

दिनांक: 21.06.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
 उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**Online Proposal No. FP/UP/Approach/44699/2020**

**विषय:** जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी० 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं०-10 में मै०इण्डियन ऑयल कॉर्पो०लि० द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

**सन्दर्भ:** सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-पी-44/81-2-2022-800(69)/2022, लखनऊ, दिनांक-25.05.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आश्रय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गई है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-


1. As per the Google earth imageries dated 03.2022, existing structure of the petrol pump is observed in the proposed area for diversion, this needs clarification.
2. As per the PARIVESH portal CA land area is 0.069777 ha. (for 100 trees minimum requirement of the area is 0.09 ha. which is less than the actual CA area), but according to the KML file CA land area is 0.14 ha. which is not matching, this needs rectification/clarification
3. The proposed CA land patch is completely overlapping with another project CA area. this needs rectification/clarification.
4. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 140 trees over an area of 0.14 ha. Accordingly, CA scheme and related documents shall be submitted and uploaded on PARIVESH portal.
5. An undertaking needs to be submitted that no felling shall be carried out in the execution of said project without prior approval of Hon'ble Supreme Court.

भवदीया

(डॉ० प्राची गंगवार)  
 उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

**प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
4. जिलाधिकारी, हाथरस।
5. मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) आई०ओ०सी०एल० संजय प्लेस, आगरा।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

  
(डॉ० प्रवीण मेहता)  
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}